कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः फा. 15(1)(8)सविरा/नियम/87 पार्ट–2 दिनांक 9/1/2014

1536
09/01/14

अतिरिक्त/संयुक्त रजिस्ट्रार
सहकारी समितियॉ,
.....खण्ड

विषयः– जिला सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि0 के आदर्श उपनियम।

––––00––––

उपरोक्त विषयान्तर्गत 97वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया जाकर दिनांक 24 अप्रेल,2013 को अधिसूचित किया जा चुका है। अधिनियम में किये गये संशोधनों के अनुसरण में जिला सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि0 के आदर्श उपनियमों में यथास्थान संशोधन अंतरित किये जाकर आदर्श उपनियम की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित है। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हए सभी संबंधित जिला सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डारो में उपरोक्त आदर्श उपनियम पंजीकृत करावे।

(पवन कुमार गोयल)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

23

1. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त पंजीयक (मार्केटिंग), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियॉ, (समस्त)
4. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड पत्रावली।

उप रजिस्ट्रार (नियम)

.....जिला सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि. की उपविधियां

1. **नाम व पता–**

इस संस्था का नाम.....जिला सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि0 होगा, जिसका राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 के अन्तर्गत पंजीयन किया गया है। इस **संस्था** का रजिस्ट्रीकृत पता..... जिला सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि..... .....स्थान.....पोस्ट.....जिला.....होगा।

2. **कार्यक्षेत्र**

इस संस्था का कार्य क्षेत्र जिला.....होगा।

3. **परिभाषाएं**

उपविधियां में जब तक कोई बात, विषय अथवा प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उस समय तक।

1. **"अधिनियम"** से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 तथा उसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों से होगा।
2. **"नियम"** से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 तथा उसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों से होगा।
3. **"रजिस्ट्रार"** से तात्पर्य रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां अथवा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी से होगा।
4. **"संघ"** से तात्पर्य राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0 से होगा।
5. **"भण्डार"** से तात्पर्य.....सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि..... से होगा।

4. **उद्देश्य**

इस भण्डार के निम्न उद्देश्य होंगेः–

1. भण्डार की सहकारी संस्थाओं के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए उपभोग की वस्तुएं एवं अन्य घरेलू जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदना तथा उन्हें बेचने की व्यवस्था करना।
2. सदस्य सहकारी संस्थाओं एवं व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए थोक से सामान खरीदना और सदस्य सहकारी संस्थाओं की मार्फत अपनी शाखाओं के माध्यम से अथवा खुदरा बिक्री केन्द्रों के द्वारा विक्रय की व्यवस्था करना।
3. सदस्य सहकारी संस्थाओं को इनकी निर्धारित सीमा के अन्तर्गत माल उधार देना।
4. सदस्य सहकारी संस्थाओं के सदस्यों एवं अन्य उपभोक्ताओं के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुओं का आयात (देश एवं विदेश से) करना।
5. सदस्य उपभोक्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रारम्भ की गई योजनाओं के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान के निर्देशानुसार माल संवारने तथा अन्य लघु उद्योगों की योजनाओं का स्वंय अथवा अन्य सहकारी संस्थाओं के सहयोग (पार्टनरशीप) से कियान्वित करना एवं उसकी सफलता के लिए आवश्यक व्यवस्था आदि करना।
6. राज्य सरकार से नियंत्रित खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं का थोक में प्राप्त करना एवं उनके विक्रय की व्यवस्था करना।
7. सदस्य सहकारी संस्थाओं के कारोबार को चलाने के लिए अन्य सहकारी बैकिंग संस्थाओं से, व्यापारिक बैंको से एवं अन्य साधनों से ऋण एवं अमानत के रूप में ऐसी शर्तो के अन्तर्गत धन एकत्रित करना, जो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा समय–समय पर प्रचलित की जावें।

8. सदस्य सहकारी समितियों को उनके माल की प्रतिभूति पर उचित ब्याज दर पर ऋण देना अथवा दिलवाने की व्यवस्था करना।
9. संस्था के लिए माल की सप्लाई आदि की व्यवस्था करना।
10. संस्था के थोक बंद माल एवं अन्य स्टॉक को सुरक्षित रखने हेतु गोदाम, कार्यालय भवन एवं दुकानों के निर्माण हेतु भूमि क्रय करना, किराये पर लेना, एवं लीज पर लेना एवं भण्डार के कारोबार को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु कार्यालय,भवन, दुकान, शोरूम बनवाना अथवा किराये पर लेकर प्रारम्भ करना।
11. कार्यक्षेत्र में चल रहे ऐसे प्राथमिक भण्डार, सहकारी भण्डारों की आर्थिक व्यापारिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से जो कमजोर है और उनके निकट भविष्य में एक स्वावलम्बी इकाई बन जाने की आशा नहीं है के क्षेत्रों में रजिस्ट्रार महोदय की अनुमति से शाखाऐं स्थापित करना एवं रजिस्ट्रार अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा अगर प्राथमिक भण्डारों को अवसायन में ला दिया जावें अथवा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 12 एवं 13 के अन्तर्गत किसी प्राथमिक सहकारी भण्डार द्वारा विलिन (मर्ज) होने की मांग की जावें, तो रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग के निर्देशानुसार/ अनुमति से कार्यवाही करना।
12. भण्डार की खुदरा और थोक बिक्री बढाने एवं उपभोक्ता सदस्यों को अधिक से अधिक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक सेवा करना तथा आदर्श बिक्री केन्द्र स्थापित करना।
13. उपभोक्ताओं के उपभोग/उपयोग की वस्तुओं आदि के लिए विभिन्न उत्पादनकर्ता से एजेन्सी प्राप्त करना और प्राप्त वस्तुओं को उपभोक्ताओं में विक्रय करने की व्यवस्था करना।
14. राजस्थान एवं भारत के अन्य राज्यों में स्थित सहकारी क्रय विक्रय एवं अन्य उत्पादक सहकारी समितियों से उनके द्वारा उत्पादित दैनिक उपभोग की वस्तुओं को उनके माध्यम से जहां तक सम्भव हो प्राथमिकता देकर खरीदने की व्यवस्था करना एवं एजेन्सियां लेकर सामान्य विक्रय हेतु प्राप्त करना।
15. खाद्य पदार्थे की शुद्वता का परीक्षण करने हेतु प्रयोगशाला की स्थापना करना अथवा अन्य प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराने की व्यवस्था करना।
16. खाद्य पदार्थो में मिलावट को रोकने हेतु सर्वेक्षण कराने तथा उपभोक्ताओं का इस हेतु सहयोग प्राप्त करना।
17. उपभोक्ताओं के हित साधन की दृष्टि से उपभोगी सामग्री का प्रकाशन करना तथा उपभोक्ताओं को वस्तुओं को साजसवार कर रखने एवं मिलावट की जांच करने आदि के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
18. राजस्थान राज्य तथा भारत के अन्य राज्यों में सहकारी आन्दोलन एवं सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन की प्रगति से संबंध रखने वाले सम्मलेनों, प्रदर्शनियों, सभा गोष्ठियों आदि में भाग लेना एवं अपने प्रतिनिधि भेजना।
19. सदस्यों में सहकारी सिद्वान्तों का प्रचार एवं प्रसार करना।
20. ऐसे समस्त अन्य कार्य जो सहकारिता के सिद्वान्तों पर आधारित हो एवं जो संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो तथा उपभोक्ताओं की आर्थिक सामाजिक एवं नैतिक दशा को उन्नत करने में सहायक हो।

5. सदस्यता

1. भण्डार की सदस्यता "अ" "ब" "स" श्रेणी में विभक्त होगी।

   1. **"अ"** श्रेणी के सदस्य

      (1) प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां।

      (2) प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार।

      (3) प्राथमिक महिला सहकारी समितियां।

      (4) अन्य प्राथमिक सहकारी समितियां।

      (5) व्यक्तिगत उपभोक्ता।

   2. **"ब"** श्रेणी के सदस्य

      (1) राज्य सरकार।

      (2) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर।

   3. **"स"** श्रेणी के सदस्य

      (1) क्षेत्र की क्रय विक्रय सहकारी समितियां।

      (2) स्वायत्वशासी संस्थाऐं नियम-निकाय जो अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सदस्य बनाये जा सकते है।

2. **"स"** श्रेणी के सदस्य नोमीनल सदस्य होगें, जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

3. इन उपविधियों के लागू हो जाने के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र से व्यक्तिगत उपभोक्ता को संस्था का सदस्य नहीं बनाया जावेगा। प्रत्येक आवेदक को भण्डार की सदस्यता ग्रहण करने अथवा हिस्से खरीदने के लिए भण्डार द्वारा इस उद्देश्य हेतु निर्धारित फार्म पर भण्डार को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं सदस्य बनने संबंधी प्रस्ताव की प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होगी। सदस्यता आवेदन पत्र के साथ प्रवेश शुल्क दस रूपया एवं निर्धारित हिस्सा राशि भी जमा करानी होगी। सदस्यता आवेदन पत्र के आधार पर अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदक को सदस्यता प्रदान की जावेगी।

4. समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय आवेदन पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर-अन्दर किया जावेगा। सदस्यता अस्वीकृत करने की स्थिति में अस्वीकृति के कारणों से आवेदक को सूचित किया जावेगा यदि 30 दिन की अवधि में संचालक मण्डल निर्णय लेने में विफल रहे तो आवेदक भण्डार का सदस्य मान लिया जावेगा।

5. (1) कोई व्यक्ति भण्डार की सदस्यता के योग्य नहीं होगा यदि वह राज0सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 28 एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम सं. 16 में वर्णित की गई निर्योग्यता/निर्हताए रखता है।

   (2) किसी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित में से किसी एक कारण होने पर समाप्त समझी जावेगीः-

      (1) उप खण्ड 5(1) में वर्णित निर्योग्यता धारण करने पर।

      (2) सहकारी संस्था का पंजीयन रद्द हो जाने पर।

6. कोई सदस्यता ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष पश्चात दो माह का नोटिस देकर सदस्यता से पृथक हो सकता है, किन्तु शर्त यह है कि भण्डार का ऋणी नहीं हो। नोटिस की तिथि उस दिन से समझी जावेगी, जिस दिन नोटिस भण्डार को प्राप्त होगा। सदस्यता समाप्ति के पश्चात हिस्सा राशि की वापसी उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही होगी।

7. सदस्यता से पृथककरण

कोई सदस्य जो उसके द्वारा देय राशि के भुगतान में निरन्तर चूक करता हो अथवा जो संचालक मण्डल की राय में भण्डार की अपकीर्ति का कारण रहा हो अथवा जिसने भण्डार के विरूद्ध या हानिकारक अन्य कार्य किया हो, इस प्रयोजन के लिए आयोजित सामान्य बैठक में उपस्थित तथा मत देने के अधिकारी सदस्यों के कम से कम 3/4 के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा, किन्तु ऐसा कोई संकल्प वैद्य नहीं होगा जब तक कि संबंधित सदस्य को साधारण सभा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दे दिया जावे तथा ऐसा कोई संकल्प प्रभावी नहीं होगा जब तक की वह रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा अनुमोदित नहीं हो जावें। जब भण्डार का कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के निष्कासन के लिए संकल्प प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता है, तो वह भण्डार के मुख्य व्यवस्थापक को इसका लिखित में नोटिस देगा। ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर या स्वंय संचालक मण्डल द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने का निर्णय लेने पर आगामी साधारण सभा की कार्य सूची में ऐसा संकल्प विचार करने के लिए सम्मिलित किया जावेगा। जिस सदस्य द्वारा निष्कासन संबंधी प्रस्ताव रखा गया है तथा जिस सदस्य के निष्कासन के लिए प्रस्ताव है, दोनों को साधारण सभा की बैठक में उपस्थित रहने की सूचना दी जावेगी यदि सदस्य स्वंय उपस्थित है, को सुनने के पश्चात् अथवा किसी से प्रतिवेदन जो उनके द्वारा लिखित में भेजा गया हो पर विचार करने के उपरान्त ही साधारण सभा द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा। साधारण सभा में उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत के संकल्प के पारित होने जाने पर ऐसा पारित संकल्प रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की स्वीकृति के लिए भेजा जावेगा। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ऐसे संकल्प पर विचार कर सकेगा तथा ऐसी जांच पड़ताल जो वह ठीक समझें करने के पश्चात अपना अनुमोदन दे सकेगा तथा भण्डार तथा संबंधी सदस्यों को अपने निर्णय की सूचना देगा। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के अनुमोदन की तिथि से ही निर्णय प्रभावी माना जावेगा।

8. प्रत्येक पृथक किया गया सदस्य उसके पृथक होने की तिथि से भण्डार की जिम्मेदारियों को चुकाने के लिए दो वर्ष तक उत्तरदायी होगा।

9. सदस्यता संबंधी अधिकार

भण्डार के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यता संबंधी अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि उनके द्वारा भण्डार की सेवाओं का न्यूनतम उपयोग करने के संबंध में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पात्रता अर्जित नहीं कर ली गई हो।

6. दायित्व

प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व भण्डार विघटन होने की परिस्थिति में भण्डार की हानियां को पूरा करने के लिए उसके द्वारा क्रय किये गये हिस्सों के पांच गुणा मूल्य तक सीमति होगा। राज्य सरकार का दायित्व उनके द्वारा क्रय किये गये हिस्सों के मूल्य तक ही सीमित होगा।

7. पूंजी

भण्डार की पूंजी के स्त्रोत निम्न होगें:-

1. (1) हिस्सा पूंजी
   (2) ऋण
   (3) प्रवेश शुल्क

(4) अमानतें

(5) अनुदान

(6) सुरक्षित एवं अन्य कोष

2. भण्डार की पूंजी भण्डार के उद्देश्यों की पूर्ति करने के कामों में ही विनियोजित की जावेगी। यदि कोई अवशिष्ठ पूंजी रहती है, जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं हो तो ऐसी पूंजी अधिनियम व नियमों में वर्णित प्रावधान के अनुसार विनियोजित की जावेगी।

3. उधार की अधिकतम सीमा

अधिकतम उधार सीमा आमसभा द्वारा निर्धारित की जावेगी, किन्तु यह सीमा अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

8. **हिस्से**

भण्डार के हिस्से निम्न श्रेणियों में विभक्त होगें:-

1. (1) **"अ"** श्रेणी के हिस्से

प्रत्येक "अ" श्रेणी के हिस्से का मूल्य 500 रूपया होगा, जो भण्डार के "अ" श्रेणी के सदस्यों को दिये जावेगें। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को 500 रूपये मूल्य का कम से कम एक हिस्सा खरीदना अनिवार्य होगा। प्राथमिक कृषि ऋणदायी सहकारी समितियों तथा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार को तथा अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों एवं महिला सहकारी समितियों को कम से कम दस हिस्से खरीदने अनिवार्य होगें।

(2) **"ब"** श्रेणी के हिस्से

प्रत्येक "ब" श्रेणी के हिस्से का मूल्य 1000 रूपया होगा। ऐसे हिस्से "ब" श्रेणी के सदस्यों को ही दिये जायेगें। राज्य सरकार व कॉनफैड जिन शर्तो पर हिस्सा राशि भुगतान करना चाहे, करने के लिए सक्षम होगी।

(3) **"स"** श्रेणी के हिस्से

प्रत्येक "स" श्रेणी के एक हिस्से का मूल्य 100 रूपया होगा।ऐसे हिस्से "स" श्रेणी के सदस्यों को ही आवंटित किये जा सकेंगे।

क्रय विक्रय सहकारी समितियों को 1000 मूल्य के कम से कम 5 हिस्से खरीदने अनिवार्य होगें।

स्पष्टीकरण यदि एक हिस्से के पूर्व मुद्रित मूल्य में परिवर्तन किया जाता है तो सदस्य को पूर्व में जारी हिस्सा की संख्या को तद्‌नुसार समयोजित कर दिया जावेगा अर्थात हिस्सा संख्या कम ज्यादा की जा सकेगी।

2. (1) हिस्से का सम्पूर्ण मूल्य हिस्से क्रय करने के समय ही भुगतान करना आवश्यक होगा। "अ" श्रेणी के सदस्य सहकारी संस्थाओं को हिस्सों के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ क्रय किये जाने वाले हिस्सों का पूरा मूल्य जमा करना आवश्यक होगा।

(2) राजस्थान सरकार एवं उपभोक्ता संघ द्वारा क्रय किये गये हिस्सों का मूल्य ऐसे निर्धारित समय व ऐसी तादाद में वापिस किये जावेंगे जो दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते से तय किये जावेंगे।

(3) सदस्यों को भण्डार की मोहर लगे हुए हिस्सों के पृथक-पृथक क्रमांक युक्त प्रमाण पत्र जिस पर अध्यक्ष और मुख्य व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होगें,जारी किये जावेंगे।

(4) किसी प्रमाण पत्र के जीर्ण हो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में मुख्य व्यवस्थापक उसे रद्द करके उसके बदले दूसरा प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा, यदि कोई प्रमाण पत्र खो जावे अथवा नष्ट हो जावें तो उसके समुचित प्रमाण के बारे में मुख्य व्यवस्थापक के सन्तुष्ट हो जाने पर संबंधित सदस्य को नया प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। प्रत्येक नया प्रमाण पत्र जो इन उपविधियों के अन्तर्गत दिया जावेगा, का 5 रूपया शुल्क जमा कराया जावेगा।

(5) पृथक होने पर हिस्सों का भुगतान भण्डार का कोई सदस्य जिसकी सदस्यता किसी निर्योग्यता के कारण समाप्त की गई हो अथवा जिसका सदस्यता से त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया हो, भण्डार ऐसे सदस्यों का नाम, सदस्यता रजिस्ट्रार से हटा देगा और उसके हिस्से का मूल्य व हिस्सों पर लाभांश, यदि घोषित हुआ हो, की राशियों में से भण्डार की सम्पति का कोई अंश अथवा भण्डार की बकाया राशि जो इसके नाम बकाया हो, अथवा ऋणी सदस्य को प्रतिभू होने के कारण उससे लेने योग्य हो उससे हिस्सों का प्रमाण पत्र वापस लेकर (यदि जारी हुआ हो तो) उक्त बकाया राशियां काटने के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिवस में उसके द्वारा लौटा दिया जावेगा तथा इसकी पुष्टि आगामी संचालक मण्डल की बैठक में कराई जावेगी, किन्तु हिस्सों की राशि भण्डार द्वारा प्राप्त की गई राशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी।

9. **साधारण सभा**

भण्डार की साधारण सभा का गठन निम्न प्रकार होगा–

1) (1) सदस्य प्राथमिक कृषि ऋणदात्रि सहकारी समितियों के प्रतिनिधि
(2) प्राथमिक महिला सहकारी समितियों के प्रतिनिधि
(3) अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि
(4) सदस्य प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के प्रतिनिधि
(5) राजकीय मनोनीत सदस्य तथा
(6) व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि

2) **"अ"** श्रेणी के व्यक्तिगत सदस्यों के द्वारा साधारण सभा में भाग लेने हेतु प्रतिनिधि का निर्वाचन राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं नियमों के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्र बनाकर पांच वर्ष में एक बार किया जावेगा। निर्वाचित प्रतिनिधि की अवधि संचालक मण्डल की अवधि के समानान्तर होगी। साधारणतथा प्रत्येक नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम ,बोर्ड इस हेतु गठित क्षेत्र माना जावेगा, परन्तु प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों में कम से कम 200 सदस्यों को होना आवश्यक होगा। 200 से कम सदस्यों की संख्या होने की स्थिति में तत्संबंधी नगर पालिका वार्ड को निकटतम वार्ड/वार्डो को साथ मिलाकर निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया जावेगा। इस प्रकार सम्मिलित वार्डो की भौगोलिक सीमा परस्पर मिलती हुई हो तथा वह एक समिति क्षेत्र गठन करती है। उपरोक्त स्थिति से भिन्न निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाने की आवश्यकता होने पर संचालक मण्डल को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

3) किसी एक वार्ड में मतदाता सदस्यों की संख्या 200 से अधिक होने की अवस्था में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं रखा जावेगा। बल्कि तत्संबंधी निर्वाचन क्षेत्र के निवासी सदस्यों में से आमसभा के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन निम्नानुसार करवाया जावेगाः–

1- 1 से 200 तक सदस्यों की संख्या पर एक प्रतिनिधि
2- 201 से 400 तक सदस्यों की संख्या पर दो प्रतिनिधि
3- 401 से 600 तक सदस्यों की संख्या पर तीन प्रतिनिधि
4- 601 से 800 तक सदस्यों की संख्या पर चार प्रतिनिधि

अतः उक्तानुसार प्रत्येक 200 सदस्यों की संख्या पूरी होने पर एक अतिरिक्त प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जावेगा।

4) प्रति वर्ष सहकारी वर्ष की समाप्ति के पश्चात छः माह की अवधि में भण्डार की वार्षिक सभा की बैठक बुलाया जाना आवश्यक होगा।

5) संचालक मण्डल आवश्यकता होने पर किसी भी समय विशेष साधारण सभा बुला सकेगा। निम्न परिस्थितियों में एक महिने के भीतर विशेष साधारण सभा बुलाया जाना आवश्यक होगा–

1- रजिस्ट्रार की लिखित आज्ञा प्राप्त होने पर अथवा
2- कॉनफैड के विशेष साधारण सभा बुलाने के लिखित अनुरोध पर
3- अ" श्रेणी के कुल सदस्यों के 1/5 सदस्यों की लिखित प्रार्थना पर विशेष साधारण सभा का अधिवेशन बुलाने हेतु लिखित आवेदन पत्र में वर्णित विषयों पर ही ऐसी सभा द्वारा विचार किया जावेगा।

6) (1) साधारण सभा की सूचना प्रत्येक सदस्य को 15 दिवस पूर्व दी जावेगी, जिसमें विचारणीय विषय, स्थान, दिनांक एवं समय आदि का उल्लेख होगा। उपविधियों में संशोधन के संबंध में विषय होने की दशा में ऐसी सूचना के साथ उपविधियों में संशोधन का पूर्ण विवरण भी सदस्यों की जानकारी हेतु भेजना आवश्यक होगा।

(2) सदस्य रजिस्टर में अंकित पते पर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा सूचना भेजा जाने पर उक्त सूचना सही प्रकार भेजी हुई सूचना समझी जावेगी। पते में परिवर्तन होने पर भण्डार को सूचना देना सदस्य का कर्तव्य होगा।

(3) साधारण सभा की सूचना के प्रसारण में कोई साधारण निवारणीय त्रुटि होने से साधारण सभा की कार्यवाही अवैधानिक नहीं होगी।

7) (1) साधारण सभा की अध्यक्षता भण्डार के अध्यक्ष करेंगे तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को सभा का सभापतित्व करने के लिए चुनेगें। अध्यक्ष सभा को नियंत्रण करेंगे। अध्यक्ष का अधिकार होगा कि किसी भी सदस्य के अभद्र व्यवहार के कारण उसे सभा छोडने के आदेश दे। जिस सदस्य को ऐसा आदेश मिलेगा, उसे तुरन्त सभा से पृथक होना पडेगा और वह सभा की शेष कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

(2) साधारण सभा के सदस्यों के 1/5 अथवा भाग लेने वाले 50 सदस्यों जो भी कम हो, सभा की गणपूर्ति करेंगे। सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने के निश्चित समय तक गणपूर्ति नहीं होने पर कोई सभा की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जावेगी। अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य द्वारा जो उस बैठक में सभापति के लिए चुना गया हो, गणपूर्ति के अभाव में सभा निम्न दिशाओं में स्थगित कर सकेंगे, किन्तु ऐसी स्थगित सभा 15 दिवस में बुलाई जाना आवश्यक है।

(अ) यदि उस सभा के निश्चित समय के एक घन्टे तक गणपूर्ति नहीं हो, या

(ब) यदि सभा की कार्यवाही के मध्य अपेक्षित गणपूर्ति कम होने का ज्ञान हो जावे।

(3) उक्त चरण (2) के अन्तर्गत स्थगित की गई सभा के आगामी अधिवेशन में गणपूर्ति होना आवश्यक नहीं होगा। स्थगित सभा में मूल बैंठक में कार्यवाही के कार्य को पूरा किया जावेगा।

8) प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होगा, किन्तु शर्त यह है कि भण्डार के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यता संबंधी अधिकारों का प्रयोग तब नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उनके द्वारा भण्डार की सेवाओं का न्यूनतम उपयोग करने के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पात्रता अर्जित नहीं कर ली गई हो।

9) प्रत्येक सभा का विवरण इस कार्य हेतु रखे गये रजिस्टर में लिखा जावेगा। साधारण सभा का विवरण सभा समाप्ति के पश्चात तुरन्त लिखा जावेगा और अध्यक्ष एवं मुख्य व्यवस्थापक उस पर प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार हस्ताक्षर किया विवरण सभा की कार्यवाही का प्रमाण होगा। जब तक प्रतिकूल प्रमाणित न हो जावे, भण्डार की साधारण सभा की बैठक जिसका विवरण इस प्रकार से लिखा गया है, नियमानुसार बुलाई गई सभा एवं सम्पादित की गई कार्यवाही समझी जावेगी।

10) सभी विषयों पर निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होंगे। बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष को द्वितीय अथवा निर्णयाक मत देने का अधिकार होगा।

11) इन उपविधियों के किसी चरण में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं निरसन (केन्सीलेशन) एवं नये उपविधि की रचना (एनेक्टमेंट) साधारण सभा में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जावेगा तथा रजिस्ट्रार द्वारा इसका पंजीयन होने के बाद ही प्रभावशील होगा।

12) 1) संचालक मण्डल उन सदस्यों की एक सूची बनायेगा जो साधारण सभा में मत देने के अधिकारी होंगे और प्रत्येक साधारण सभा के अधिवेशन के 30 दिवस पूर्व इस प्रकार की सूची तैयार रखेगा।

2) भण्डार के मुख्य व्यवस्थापक को कर्तव्य होगा कि जो सदस्य उक्त सूची चाहेगा, उन्हें संचालक मण्डल द्वारा इस संबंध में निर्धारित शुल्क प्राप्त कर सूची देगा।

3) साधारण सभा के जिस अधिवेशन में संचालक मण्डल के चुनाव होंगे, उसकी तिथि से पूर्व 30 दिनों में कोई सदस्य नहीं बनाये जावेंगे।

10. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न प्रकार होंगेः-

1) साधारण सभा को भण्डार के कार्य संचालन के संबंध में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होंगे।

2) उपविधियों के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत भण्डार के संचालक मण्डल अथवा किसी पदाधिकारी द्वारा किये गये कार्यो में साधारण सभा द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकेंगा।

3) साधारण सभा अन्य विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित पर भी विचार करेंगीः-

1- उपविधि ग्यारह के प्रावधन के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन,

2- संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत आडिट रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार,

3- भण्डार के गत वर्ष के कार्य पर विचार करना तथा संचालक मण्डल द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किये गये कार्यकलापों/ कार्यक्रम का अनुमोदन,

4- संचालक मण्डल द्वारा भण्डार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार तैयार किये गये वार्षिक आय व बजट की स्वीकृति के विचार

5- रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग को भेजे जाने वाले वार्षिक विवरण पत्रों पर विचार,

6- राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 54 एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 73 के प्रावधान अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पेनल में से विभागीय लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षा फर्म की भण्डार के अंकेक्षण हेतु नियुक्त करना व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

7- उपविधियों में संशोधन,

8- शुद्ध लाभ का निवर्तन,

9- उपविधियों के अन्तर्गत सदस्यों का पृथककरण,

10- संचालक मण्डल के विरूद्ध किसी सदस्य के अभियोग पर विचार एवं

11- ऐसे पत्रों पर विचार जिन्हें राज्य सरकार अथवा रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग के निर्देशानुसार साधारण सभा में रखा जाना आवश्यक हो।

12- मूल्य घटत-बढ़त कोष की सीमा निर्धारित करना।

11. संचालक मण्डल

1) संचालक मण्डल में 12 निर्वाचित सदस्यों सहित कुल 16 सदस्य होगें। संचालक मण्डल का गठन निम्न प्रकार किया जावेगा-

(अ) सदस्य कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों एवं प्राथमिक महिला सहकारी समितियों एवं अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा निर्वाचित सदस्य 3

(ब) सदस्य प्राथमिक उपभोक्ता भण्डारों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा निर्वाचित सदस्य 3

(स) व्यक्तिगत सदस्यों के प्रतिनिधियों में से निर्वाचित सदस्य 6

(क) अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित(इस वर्ग के सदस्य होने पर) 1

(ख) अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित(इस वर्ग के सदस्य होने पर) 1

(ग) महिला सदस्यों के लिए आरक्षित 2

(घ) सामान्य सदस्य 2

नोटः- यदि उप नियम संख्या 11 (स) के अनुसार निर्वाचित कराये जाने पर भी आरक्षित पद रिक्त रह जाता है तो उस स्थिति में व्यक्तिगत सदस्यों में से किसी भी वर्ग के पात्रताधारक सदस्यों का का निर्वाचन किया जावेगा तथापि कोई पद रिक्त नही रहेगा।

(द) राज्य सरकार/रजिस्ट्रार द्वारा मनोनीत सदस्य 3

(य) मुख्य व्यवस्थापक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) पदेन सदस्य 1

(र) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन "अ" श्रेणी के सदस्यों द्वारा किया जावेगा।

(ल) क्रमांकः 1(ब) व 1(स) अंकित सुरक्षित स्थानों हेतु व्यक्तियो का निर्वाचन सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं व्यक्तिगत सदस्य दोनो मिलकर निर्वाचन क्षेत्र का गठन करेंगे तथा अन्यार्थी के प्रस्तावक और समर्थक संबंधित क्षेत्र से ही होंगे।

2) सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं व्यक्तिगत उपभोक्ता ही मत देगें। सुरक्षित स्थानों पर प्रतिनिधियों का चुनाव करने हेतु समस्त सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं समस्त व्यक्तिगत सदस्य मत देगें।

3) राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में भण्डार का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष के द्वारा ही किया जावेगा।

4) संचालक मण्डल के सदस्यों को साधारण सभा की पूर्व अनुमति व स्वीकृति बजट में इस प्रकार की राशि का प्रावधान होने पर, प्रत्येक बैठक में सम्मिलित होने का अधिक से अधिक 500 रूपये तक बैठक शुल्क तथा मार्ग व्यय के रूप में वास्तविक किराया दिया जावेगा। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए साधारण सभा प्रतिवर्ष बैठक शुल्क उपरोक्त सीमा तक निर्धारित करेगी।

5) **संचालक मण्डल के सदस्यों की योग्यता** निम्न में से एक या अधिक कारण होने पर संचालक मण्डल की सदस्यता समाप्त समझी जावेगी, यदिः-

1. वह सहकारी संस्था जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, इस संस्था का सदस्य नहीं रहे।
2. उन सहकारी संस्था जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, का पंजीयन समाप्त हो जावें।
3. वह सहकारी संस्था जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, अवसायन में आ जावें।
4. वह सहकारी संस्था जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है किसी अन्य सहकारी संस्था के ऋण को चुकाने में दोषी हो गई हो।
5. सहकारी संस्था का प्रतिनिधि स्वंय उसकी सहकारी संस्था अथवा वह सहकारी संस्था जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है जैसी भी स्थिति हो इस भण्डार अथवा किसी अन्य सहकारी संस्था के ऋण को चुकाने को दोषी हो गई हो।
6. सहकारी संस्था का प्रतिनिधि अधिनियम एवं नियमों वर्णित अयोग्यता का धारक हो गया हो।
7. सहकारी संस्था का प्रतिनिधि जब उसकी समिति का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष प्रतिनिधि न रहे।
8. यदि संचालक मण्डल स्वंय या उसके परिवार के किसी सदस्य संबंधी द्वारा भण्डार की ओर से या भण्डार के कार्य के विरूद्ध वकील का कार्य कर रहा हो।
9. यदि संचालक मण्डल राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 में बताये गये दोषी के कारावास की सजा पाया है और वह सजा बदली नहीं गई हो, किन्तु ऐसे कारावास की सजा अपील या रिविजन करने से रद्द नहीं हो जाती है तो ऐसा सदस्य, जो रिक्त स्थान पर बाकी समय के लिए चुना या मनोनीत किया गया हो इस सदस्य के लिए अपना पद रिक्त कर देगा। ऐसी स्थिति में मनोनयन अपील या रिविजन निर्णय होने तक अथवा आगामी चुनाव तक के लिए ही वैध होगी। इसके अतिरिक्त यदि संचालक मण्डल का कोई सदस्य नैतिक पतन के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया हो तो भी वह जब तक की सक्षम न्यायालय द्वारा उसे निर्दोष घोषित नहीं कर दिया गया हो। संचालक मण्डल पर पदासीन अथवा निर्वाचित होने योग्य नहीं होगा।
10. संचालक मण्डल या कोई भी सदस्य जिसके विरूद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की 57 (2) के अधीन किसी राशि या शास्ति के भुगतान का आदेश दिया हो, जिसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 105 अथवा 110 के अन्तर्गत कोई आदेश पारित हो गये हो और ऐसे आदेश बदले नहीं गये हो तो इस आदेश की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक संचालक मण्डल का सदस्य नहीं रह सकेगा।

11. संचालक मण्डल की अनुमति प्राप्त किये बिना संचालक मण्डल की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहा हो। इस हेतु बैठक की कार्यवाही में अंकित तत्संबंधी विवरण ही इस बात का प्रमाण माना जावेगा।

12. उसने संचालक मण्डल से त्याग पत्र देने की सूचना संचालक मण्डल को दे दी हो तथा उसका त्याग पत्र स्वीकृत हो गया हो।

उपरोक्त में से किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त होते ही दोषी की सूचना भण्डार के मुख्य व्यवस्थापक द्वारा तत्काल संबंधित रजिस्ट्रार को देनी होगी। उपरोक्तानुसार अपदस्थ संचालक को संचालक मण्डल की आगामी बैठक में आमंत्रित नहीं किया जावेगा। जब तक की अपदस्थ संचालक के प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर रजिस्ट्रार द्वारा निर्णय नहीं दे दिया गया हो।

6) किसी सदस्य संस्था का प्रतिनिधि संचालक मण्डल में सदस्य के रूप में निर्वाचित मनोनीत किये जाने योग्य नहीं होगा, यदि वह

1. प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भण्डार द्वारा किये जा रहे व्यापार में निजी रूप से या परिवार के अन्य सदस्य के नाम से कोई हित रखता हो।
2. कोई सदस्य जो अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी निर्योग्यता से ग्रस्त है और जिसके कारण उसे संचालक मण्डल की सदस्यता से पृथक होना पड़ेगा।

7) **संचालक मण्डल के सदस्यों का कार्यकालः–** संचालक मण्डल का कार्यकाल उनके निर्वाचन की तिथि से पांच वर्ष का होगा तथा 5 वर्ष पूरा होने पर कार्यकाल समाप्त होना माना जावेगा।

8) साधारण सभा को किसी समय उनके द्वारा निर्वाचित संचालक मण्डल के अध्यक्ष अथवा सदस्य को हटाने का अधिकार होगा।

9) कोई निर्वाचित संचालक सदस्य, संचालक मण्डल की सदस्यता से भण्डार के मुख्य व्यवस्थापक के पास लिखित रूप से अपना त्याग पत्र भेजकर पृथक हो सकेगा, किन्तु त्याग पत्र संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत होने की तिथि से मान्य होगा।

10) संचालक मण्डल के प्रत्येक चुने गये सदस्य के अन्तर्गत रिक्त स्थान की पूर्ति राजस्थान सोसायटी अधिनियम,2001 एवं नियम 2003 के प्रावधानुसार सहवरण द्वारा की जावेगी तथा इसकी सूचना राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को दी जावेगी। इस प्रकार सहवरित सदस्य की अवधि आगामी निर्वाचन हेतु आहूत साधारण सभा के अधिवेशन पर समाप्त हो जावेगी। सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति भी राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

11) **संचालक मण्डल की बैठक–**

संचालक मण्डल की बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को लिखित रूप में बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व दी जावेगी, परन्तु विशेष परिस्थिति में बैठक की सूचना स्पष्ट 24 घण्टे पूर्व देकर बुलाई जा सकेगी। जिसमें विचारणीन विषयों, स्थान, तारीख व समय का उल्लेख होगा, परन्तु किसी आवश्यक विषय पर जो विचारणीय विषयों में सम्मिलित नहीं है उपस्थित सदस्यों की राय से विचारणार्थ लिया जा सकेगा।

12) भण्डार के अध्यक्ष संचालक मण्डल की बैठक में अध्यक्षता करेगें। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्यों में से कोई भी व्यक्ति, जो इस बैठक के सभापतित्व के लिए निर्वाचित किया जावे, सभापतित्व करेगा।

13) संचालक मण्डल का कोरम 9 संचालकों की उपस्थिति से माना जावेगा। यदि संचालक मण्डल की बैठक पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु राजस्थान राज्य निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु आहूत की गई हो तो प्रबंध समिति की ऐसी बैठक में गणपूर्ति होना आवश्यक नहीं होगा।

14) संचालक मण्डल की बैठक में प्रत्येक विचारणीय विषय का निर्णय बहुमत से लिया जावेगा। बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्ति को जो उस दिन बैठक का सभापतित्व करेगा, को अपना निर्णायक अथवा द्वितीय मत देने का अधिकार होगा।

15) संचालक मण्डल की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जावेगी।

16) (अ) स्पष्ट दस दिन पूर्व मुख्य व्यवस्थापक को सूचना भेजकर कोई भी 9 संचालक (सदस्य) संचालक मण्डल का विशेष अधिवेशन बुलाने हेतु निवेदन कर सकेगें। प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही मुख्य व्यवस्थापक बैठक बुलाने हेतु कार्यवाही करेगा।

(ब) विशेष बैठक को मांग हेतु आये हुए आवेदन पत्र के कारण स्पष्टतया उल्लेख होगा तथा आवेदन पत्र पर मांग करने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे एवं यह भण्डार के रजिस्टर्ड पते पर प्रस्तुत किया जावेगा। इस विशेष बैठक की सूचना में अंकित विषयों पर ही विचार किया जावेगा।

12. संचालक मण्डल के कर्तव्य

1. जनता को आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध एवं वितरण कराने की दृष्टि से क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का सर्वक्षण करवाकर योजनाऐं बनवाना एवं उनकी स्वीकृति प्राप्त कर क्रियान्विति की उचित व्यवस्था करना।
2. क्षेत्रीय असन्तुलन को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई समस्त क्षेत्र में समानता के आधार पर कराये जाने हेतु योजनायें बनाना क्रियान्विति की व्यवस्था करना तथा समय समय पर उनका मूल्यांकन करवाना।
3. स्वीकृत योजनाओं की क्रियान्विति हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना, तथा एकत्रित पूंजी को सुव्यवस्थित ढंग से विनियोजित करने की व्यवस्था करना।
4. उपभोक्ता वस्तुओं के उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकता होने पर देश के अन्य भागों से मंगवाना अथवा विदेशों से आयात संघ के द्वारा करवाना तथा अतिरिक्त माल की अच्छी कीमतें प्रापत करने की दृष्टि से निर्यात कराने की व्यवस्था करना।
5. कार्य क्षेत्र की जनता की आस्था एवं निष्ठा को जागृत करना व क्षेत्र के निवासियों के लिए गतिशील एवं प्रेरणास्पद नेतृत्व प्रदान कराना तथा संस्था को आदर्श सहकारी संगठन बनाने हेतु कार्य करना।
6. स्वंय संस्था अथवा सदस्य सहकारी उपभोक्ता संस्थाओं के कर्मचारियों को आधुनिक विक्रय पद्वति का समय-समय पर प्रशिक्षण दिलाना।
7. निर्धारित शर्तो के अनुसार भण्डार की व्यवस्था हेतु पूंजी एकत्रित करना।
8. भण्डार की पूंजी के विनियोग की स्वीकृति अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अनुसार देना।
9. रजिस्ट्रार एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. द्वारा निर्धारित पुस्तकों को लिखवाने एवं हिसाब तैयार कराने की व्यवस्था करना।
10. विभिन्न अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिये गये निरीक्षण पत्रों व अंकेक्षण पत्रों में अंकित आक्षेपों पर विचार करना एवं पूर्ति प्रतिवेदन तैयार कराकर संबंधित अधिकारियों को समय

पर प्रेषित कराने एवं उनमें बताये गये आक्षेपों का निराकरण कराने की समुचित व्यवस्था करना।

11. अंकेक्षण पत्र एवं तत्संबंधित पूर्ति पत्र आगामी साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।
12. भण्डार का वार्षिक बजट तैयार कर अपनी सिफारिश के साथ साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।
13. भण्डार किसी कार्य विशेष को सम्पादित करने के लिए आवश्यकता पडने पर कम से कम 3 सदस्यों की उप समिति की तदर्थ समिति (एडोक कमेटी) गठित करना। जिसमें से एक मुख्य व्यवस्थापक होंगे, संचालक मण्डल उसको अपने अधिकारों में से कोई अधिकार दे सकेगा, किन्तु किसी परिस्थिति में मुख्य व्यवस्थापक के अतिरिक्त संचालक मण्डल द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को अपने अधिकार नहीं दिये जावेगें।
14. आमसभा द्वारा स्वीकृत बजट की सीमा में ही भण्डार के कर्मचारियों की संख्या, वेतन, भत्ते व अन्य खर्च आदि पर नियंत्रण रखना एवं इस हेतु मुख्य व्यवस्थापक से समय समय पर सूचनाऐं लेकर स्थिति की समीक्षा करना।
15. साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक हिसाबात जिसमें आय-व्यय खता, संतुलन चित्रों, लाभ-हानि खाता इत्यादि होगें, तैयार करवाना व साधारण सभा में प्रस्तुत करना एवं आगामी वर्ष की योजनाऐं तथ्यों का वितरण तथा क्रियान्विति की प्रगति आदि साधारण सभा में प्रस्तुत करना।
16. भण्डार के हिसाबात नियमित रूप से निर्धारित ढंग से रखवाने की व्यवस्था करना।
17. भण्डार द्वारा लिये गये ऋण, अमानतों आदि को समय पर चुकाने की व्यवस्था करना।
18. अन्य ऐसे कार्य करना जो भण्डार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हो, लेकिन संचालक मण्डल के समस्त निर्णय नीति निर्धारण व उसको क्रियान्विति की समीक्षा से ही संबंधित होगें। उपरोक्त कर्तव्यों की पूर्ति हेतु संचालक मण्डल द्वारा भण्डार का कार्य पूर्ण विवेक एवं सर्तकता से किया जावेगा और कार्य भण्डार के उपविधियों के हितों व विभागीय निर्देशों के प्रतिकूल नहीं होगा।
19. 500 रूपये से अधिक किन्तु 5000 रूपये से कम के समान के अपलेखन का अधिकार परन्तु ऐसे सामान जिसमें सामान्य उपभोग की अवधि पूर्ण कर ली हो।
20. कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य, जॉब चार्ट निश्चित करना।

13. कर्तव्य

1. (क) अध्यक्ष के कर्तव्य

साधारण सभा, संचालक मण्डल एवं उप समितियों की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जावेगी।

(ख) उपाध्यक्ष के कर्तव्य

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकार उपाध्यक्ष में निहित होगें, किन्तु उपाध्यक्ष अधिकारों का प्रयोग अध्यक्ष से लिखित में अनुमति पाने पर ही कर सकेगा।

2. मुख्य व्यवस्थापक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1. मुख्य व्यवस्थापक भण्डार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जो संचालक मण्डल के नियंत्रण व देख रेख में कार्य करेगा, उसके प्रति उत्तरदायी होगा। मुख्य व्यवस्थापक, भण्डार के समस्त क्रिया कलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी होगा। वह भण्डार के संचालक मण्डल का पदेन सदस्य होगा एवं सचिव का कार्य भी करेगा।

भण्डार की साख को बढाने हेतु सभी ऐसे कार्य भी करेगा, जिससे सदस्यों की आस्था भण्डार में उत्तरोत्तर बढे एवं संस्था के गौरव की अभिवृद्धि हो। इस हेतु भण्डार के कार्य क्षेत्र के आर्थिक विकास की तीन वर्ष की योजना बनाना एवं संचालक मण्डल/ आमसभा के सम्मुख प्रस्तुत करना एवं योजनामें निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करना।

2. संस्था के कार्यालय को सुव्यवस्थित रखना, कार्यालय समय पर खोलने की व्यवस्था करना व पूर्ण समय समस्त सदस्यों को भण्डार की सेवाऐं उपलब्ध कराना, उनके आर्थिक मामलों में पूर्ण सहायता व मार्गदर्शन करना, संस्था के समस्त रेकार्ड को सुरक्षित व पूर्ण रखने की व्यवस्था करना, सम्पत्ति व रोकड राशि की सुरक्षा रखने की व्यवस्था करना।
3. भण्डार की शेयर पूंजी में यदि राज्य सरकार ने अभिदान किया हुआ है तो सरकार या सरकार के द्वारा इस नियमित विनिदिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा भण्डार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी। इस प्रकार नियुक्त अधिकारी सरकार या यथा स्थिति विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की इच्छानुसार पद धारण करेगा और उसे संदेय पारिश्रमिक भण्डार की निधियों में से संदत्त किया जावेगा।
4. संस्था की ओर से तथा संचालक मण्डल के नियमानुसार बैक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से धनराशि प्राप्त करना, नियमानुसार उसका विनियोजन करना।
5. अधिकृत विभागीय/ वित्तीय बैंक/ उच्च संस्था के अधिकारी द्वारा अंकेक्षण/निरीक्षण के समय पूर्ण सहयोग देना, उनके द्वारा मांगे गये समस्त रेकार्ड को प्रस्तुत करना, समस्त वांछित सूचनाऐं उपलब्ध कराना, एवं प्राप्त अंकेक्षण/निरीक्षण पत्रों के आक्षेपों की समय पर सामयिक पूर्ति करने एवं पूर्ति प्रतिवेदन संबंधित अधिकारीगण को समय पर पठाना एवं तत्संबंधी निर्देशों की पालना करना।
6. सदस्यों से ऋण की समय पर वसूली करना, अवधिपार ऋणों की वसूली हेतु विधि मामले तैयार करवाकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करवाना।
7. राज्य सरकार/नियम निकाय अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ठेके/कार्य ऐजेन्सियां आदि के बाबत जानकारी रखना, समिति के हितों को ध्यान में रखकर उन्हें उचित शर्तो पर प्राप्त करना, उनकी क्रियान्विति करना तथा प्रगति से संचालक मण्डल को अवगत कराना।
8. साधारण सभा, संचालक मण्डल अथवा उप समितियों की बैठक बुलाना और उसमें शामिल होना।
9. बैठकों की कार्यवाही निर्धारित रजिस्टर में अंकित करना तथा बैठक के अध्यक्ष के साथ किताब कार्यवाही में हस्ताक्षर करना।
10. बैंक के रजिस्टर्स, लेखा पुस्तकें, वाउचर्स आदि समस्त रेकार्ड तातारीख पूर्ण रखना/ रखाना/ उनकी जांच करना तथा उनमें लेखाकार के साथ अपने हस्ताक्षर करना।
11. भण्डार के समस्त कर्मचारियों की नियमानुसार नियुक्ति करना, उन पर प्रशासनिक रूप से पूर्ण नियंत्रण रखना और उनके कार्य का निरीक्षण करना, उनका हस्तान्तरण करना एवं समस्त प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, उन्हें दण्ड देना एवं नौकरी से अगल/बर्खास्त करना आदि।
12. भण्डार की ओर से अथवा भण्डार पर किये गये दावों की पैरवी करना, दायर करना, समझौता करना अथवा वापस लेना।
13. भण्डार की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
14. भण्डार की ओर से रकम प्राप्त करना और रसीदों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधीनस्थ अधिकारी को अधिकृत करना।

15. भण्डार की ओर से निष्पादित होने वाले समस्त डॉक्यूमेंटस पर भण्डार के अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करना।
16. सहकारी वर्ष की सामप्ति पर प्रत्येक सहकारी संस्था की लेनदारी, देनदारी व विवरण निर्धारित प्रपत्र में भेजना और उससे पुष्टि कराने की व्यवस्था करना।
17. अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के किसी सदस्य द्वारा चाहे जाने पर संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करवाना, और
18. अन्य समस्त ऐसे कार्य करना जो संचालक मण्डल व रजिस्ट्रार द्वारा सौपे गये हो।
19. सोसायटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट ी एक प्रति सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा उस पर विचार एवं अनुमोदन के पश्चात् उसकी अनुपालना रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी संबंध सोसायटी को भेजना।

14. आन्तरिक आडिट व रोकथाम

भण्डार के हिसाबत का आडिट राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54 के अनुसार आमसभा द्वारा नियुक्त आडिटरों/आडिटिंग फर्म द्वारा ही कराया जावेगा। ऐसा आडिट साल में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से कराया जावेगा। आमसभा द्वारा नियुक्त आडिटर को समस्त आवश्यक रेकार्ड एवं सूचनाऐं प्रस्तुत करने एवं यथा समय आवश्यक सुविधा प्रदान करने तथा आडिट आक्षेपों की पूर्ति करने की पूर्ण दायित्व संचालक मण्डल एवं मुख्य व्यवस्थापक का होगा।

15. शुद्व लाभ का निवर्तन

भण्डार के कारोबार का वर्ष 31 मार्च को समाप्ति होगा। वर्ष के कुल लाभों में से लेखों में इकट्ठे हो रहे ब्याज जो कि अधिदेय (ओवरड्यू) है, स्थापना खर्च, ऋणों एवं जमाओं पर देय ब्याज, अंकेक्षण शुल्क, मरम्मत, किराया, करों, हास्यों सहित कार्य व्यय तथा लाभों में से रहित किसी निधि में असमायोजित बट्टे खातों, रकमों का हानियां के लिए या उनको समाप्त करने के प्रावधानों को काट कर शुद्व लाभ को संगठित करेगा। शुद्व लाभों में से रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के निर्देशों के अनुसार डूबत व सन्देहात्मक ऋणों की राशियों का प्रावधान किया जाकर शेष शुद्व लाभ का वितरण निम्न प्रकार किया जावेगा–

1. कम से कम 25 प्रतिशत आरक्षित निधि में,
2. कम से कम 1 प्रतिशत शिक्षा कोष में,
3. हिस्सों पर अधिक से अधिक 10 प्रतिशत लाभांश दिया जावेगा। ऐसे हिस्से जो पूरे वर्ष भण्डार में रहे हो, पर पूरे वर्ष का लाभांश दिया जावेगा। ऐसे हिस्से जो 6 माह से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम रहे हो पर 6 माह का लाभांश दिया जावेगा तथा 6 माह से कम अवधि के हिस्से पर लाभांश देय नहीं होगा।

शेष बचे लाभ का वितरण निम्न प्रकार किया जावेगाः–

(क) कम से कम 5 प्रतिशत कीमत उतार–चढाव कोष में,
(ख) कम से कम 3 प्रतिशत पेट्रोनेज बोनस कोष में,
(ग) कम से कम 5 प्रतिशत बट्टा खाता कोष में,
(घ) कम से कम 25 प्रतिशत भवन निर्माण कोष में,
(ड़) कम से कम 5 प्रतिशत डिविडेन्ड समानीकरण कोष में (डिविडेन्ड इक्वलाईजेशन फण्ड)
(च) जनहितकारी कोष में अधिक से अधिक 10 प्रतिशत।
(छ) हिस्सा समानीकरण कोष में अधिक से अधिक 10 प्रतिशत।
(ज) कर्मचारियों को बोनस देने हेतु प्रावधान।

16. **सुरक्षित कोष**

1. सुरक्षित कोष अविभाज्य होगा। किसी सदस्य का इसमें कोई भाग नहीं होगा।
2. सुरक्षित कोष रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान के आदेश एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 49 के अनुसार विनियोजित किया जावेगा तथा रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग की पूर्व लिखित अनुमति के बिना बापिस नहीं निकाला जावेगा और न रहन रखा जावेगा और न ही अन्य कार्यो में लगाया जावेगा।

17. **हानि को बट्टे खाते डालना**

हानि की पूर्ति सुरक्षित कोष से की जावेगी एवं सुरक्षित कोष से हानि अधिक होने की परिस्थितियों में बकाया राशि संस्था की हिस्सा राशि पूर्ति की जावेगी, किन्तु

1. किसी भी हानि की पूर्ति साधारण सभा की स्वीकृति के बिना नहीं की जावेगी।
2. किसी भी हानि की पूर्ति करने से पूर्व भण्डार को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर की लिखित स्वीकृति लेनी होगी, जिसमें रजिस्ट्रार,सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

18. **आयोजित (अनक्लेम्ड) राशि को सुरक्षित कोष में डालना**

संचालक मण्डल द्वारा निश्चित पर्याप्त सूचना के पश्चात कोई राशि संस्था में ज्ञातव्य और भारतीय परिसीमन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में जिसकी मांग न की गई हो, भण्डार के सुरक्षित कोष में जमा कर दी जावेगी।

19. रजिस्ट्रार एवं कानफैड को संस्था के अभिलेख, लेखे, खाता व सम्पति आदि का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकारी होगा।

20. **वार्षिक विवरण पत्र**

भण्डार के हिसाब प्रथम अप्रेल से आगामी 31 मार्च तक के प्रत्येक वर्ष की अवधि के लिए तैया किये जावेगें।

21. संचालक मण्डल रजिस्ट्रार महोदय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिवर्ष निम्नलिखित हिसाब से तैयार करायेगें:-

1. अग्रिम लेखा जिसमें वर्षभर का आय-व्यय दिखाया जावेगा।
2. संतुलन चित्र जिसमें विगत 31 मार्च की भण्डार की सम्पति और देनदारियां बताई जावेगी।
3. हानि व लाभ विवरण पत्र जिसमें भण्डार का वर्ष का लाभ या हानि बताया जावेगा।

(ब) ये विवरण पत्र 31 मार्च के तैयार किये जावेगें और प्रत्येक वर्ष की एक प्रति सहकारी वर्ष की समाप्ति के पश्चात निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रार एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर को प्रेषित की जावेगी। रजिस्ट्रार महोदय द्वारा प्रमाणित करने एवं आडिट प्राप्त पत्र प्रदान करने के पश्चात संस्था आडिट प्रमाण पत्र व अन्य ऐसे विवरण पत्र जो निर्देशित करें, उनके द्वारा निर्देशित ढंग से प्रकाशित करेंगी।

22. यदि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर की उपविधियों व इस संस्था की उपविधियों में विरोधाभास होगा तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर की उपविधियां मान्य समझी जावेगी।

23. भण्डार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम (संशोधित) की धारा 122(क) में वर्णित विवरणियां फाइल करेगीं।